

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY



भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 57] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 1982/माघ 28, 1903
No. 57] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 1982/MAGHA 28, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विस्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1982

सं. 20/82-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 73(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962
(1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, और भारत सरकार के विस्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.
240-सीमाशुल्क, तारीख 12 नवम्बर, 1981 को अधिक्रान्त करते हुए, अपना यह
समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ

अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की दूसरी अनुसूची के शीर्षक सं. 1 के अन्तर्गत आने वाली काफी को, जब उसका निर्यात भारत के बाहर किया जाए, उक्त दूसरी अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उनमें भाग से, जो प्रति क्विंटल 300 रुपए से अधिक है, छूट देती है।

[फा.सं. 347/7/78-टी आर यू]

ज. श्रीधरन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 1982

No. 20/82-CUSTOMS

G.S.R. 73(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 240-Customs, dated the 12th November, 1981, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts coffee, falling under Heading No. 1 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India from so much of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule as is in excess of Rs. 300 per quintal.

[F. No. 347/7/78-TRU]

J. SRIDHARAN, Under Secy.